न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 323 /2019

श्रीराम शर्मा...............................वादी।

बनाम्

पिकु शर्मा वगैरह्...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

21.05.2025

उभय पक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 20.12.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के वादी श्रीराम शर्मा की मृत्यु दिनांक 06.11.2024 को हो चुकी है तथा अनुरोध करते हैं कि मृत वादी श्रीराम शर्मा का नाम कलमजद करते हुए उनके जगह पर उनके कानूनी वारीसान प्रभुनाथ शर्मा का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता अनापत्ति अंकित करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 20.12.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा वादी श्रीराम शर्मा का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा उनके कानूनी वारीसान प्रभुनाथ शर्मा का नाम मृत वादी के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय मृत वादी श्रीराम शर्मा का नाम कलमजद करें तथा उनके कानूनी वारीसान प्रभुनाथ शर्मा का नाम मृत वादी के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करें।

दिनांक–10.07.2024 वास्ते धारा 89 पर सुनवाई हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)